न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 336/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/282

दायर दिनांक :– 10.11.2022 निर्णय दिनांक :– 18.09.2025

1. मोयबदीन पुत्र बागे खा जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. मोहम्मद न्यास पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी अजेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. जन्नत पत्नी अलाबक्स जाति मुसलमान निवासी भडला तहसील बाप जिला फलोदी
2. पटवारी हल्का पटवार मण्डल नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी
3. उप पंजीयक शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम भड़ला के मूल खसरा नम्बर 67 रकबा 154 बीघा के रूप में आई हुई है। उक्त खसरों की भूमि वर्तमान में खसरा नम्बर 67/1 रकबा 100–00 बीघा एवं खसरा नम्बर 67 रकबा 54–00 बीघा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि को लेकर प्राथीगण ने एक दावा उनवान मोयबदीन वगैरा बनाम दीनेखां वगैरा का अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वर्णित अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र संख्या 55/2021 में न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण की सुनवाई करते हुवे दिनांक 06.04.2022 को निम्न आदेश पारित किया कि वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में तत्कालन सुनवाई आवश्यक होने से उनकी आज ही एक पक्षीय बहस सुनी जावे। वकील प्रार्थीगण के विशेष आग्रह करने पर बाबत अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनई गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन चिंतन मनन से पाया गया कि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना उचित प्रतीत होने से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भड़ला के मूल खसरा नम्बर 67 कुल रकबा 154–00 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी आगामी तारीख पेश तक न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे तथा

18/9/25

राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अदेश न्यायाल हाजा द्वारा पारित किया गया। न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 06.04.2022 की प्रमाणित प्रति प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.04 2022 को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के कार्यालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भडला के खसरा नम्बर 67 रकबा 154 बीघा प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों की सामलाती है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.04.2022 को अप्रार्थीगण संख 2 व 3 को आदेश दिया जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा हस्ताक्षर करते हुवे प्रार्थीगण को रिसीवड कॉपी पर क.सं. 2257 दिनांक 25.04.2022 अंकित करते हुवे प्रार्थीगण को वास्ते सबूत दी तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया कि हम न्यायालय हाजा के आदेश की पालना करेंगे किन्तू अप्रार्थीगण संख्या 3 को प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति दिये जाने के बावजूद दिनांक 24.08.2022 को प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट करते हुवे मोटी रकम लेते हुवे बेचान हस्तान्तरण का पंजीय कर दिया जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगणों के हिस्से पर कब्जा करके प्रार्थीगण को बेदखल करके कब्जा कर लिया तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये स्थगन आदेश की अवहेलना कर देने से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को आदेश की अवहेलना करने की अधिक से अधिक सजा दी जावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा स्थगन आदेश का ज्ञान होते हुवे उक्त वादग्रस्त भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जिसका नामान्तरकण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नहीं किये जाने के निर्देश दिया जाना न्यायोचित है। इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की जानबूझ कर अवहेलना कारित की है। इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवज्ञा करने का मामला प्रमाणित होने से न्यायालय हाजा अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे बेचान दिनांक 24.08.2022 जो पु. सं. 1 जिल्द संख्या 59 मे पृ. 76 क.सं. 202203090100867 को निष्प्रभाव करार दिया जाकर अप्रार्थीगण को सिविल कारावस से कठोर दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 55/2021 अनवान मोयबदीन वगैरा बनाम दीनेखां वगैरा में दिनांक 06.04.2022 को प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी जारी की गई थी। अप्रर्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 67/1 में भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र के क्रय की गई तब राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में स्थगन का नोट दर्ज था या नहीं ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दस्तावेजात के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क

18/3/25

सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)